प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 17.12.2025

ड्रग माफियाओं व कफ सीरप तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, नशीले कफ सीरप प्रकरण में 10000/- का इनामिया एकअन्य अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा ड्रग माफियाओं एवं कफ सीरप तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित सोनभद्र पुलिस, एसआईटी व एसओजी टीम सोनभद्र ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

संयुक्त टीम द्वारा कोलकाता से कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र रामदयाल, निवासी ए-924/जे, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, आदमपुर, जनपद वाराणसी को मा0 न्यायालय के आदेश से 04 दिवसीय पुलिस कस्टडी रिमांड (Police Custody Remand) पर लेकर पुलिस टीम द्वारा रांची ले जाया गया। रांची में SIT टीम द्वारा अवैध कफ सीरप कहा-कहा जाता है इस सम्बन्ध में जांच की।

उक्त जांच के क्रम में आज दिनांक 17.12.2025 को सत्यम कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निवासी के-64/1ए, गोला दीनानाथ, कबीरचौरा, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त उपरोक्त ने ग्राम बरकरा कमरही रोड रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के पते पर किराए का मकान लेकर मां कृपा मेडिकल के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र व शपथ पत्र आदि दस्तावेज के आधार पर औषधि विभाग सोनभद्र से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया था। उक्त मां कृपा मेडिकल जो मौके पर स्थापित नहीं है,के पते पर शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड प्रोपराइटर भोला प्रसाद एवं शुभम जायसवाल से लगभग 06 करोड़ का फेन्साडिल कफ सीरप क्रय दिखाकर जनपद भदोही नई बाजार स्थित फर्जी फर्में आयुष इन्टरप्राइजेज,सनाया मेडिकल, दिलीप मेडिकल जो मौके पर स्थापित नहीं हैं, के नाम विक्रय दिखाकर उनके खातों से पैसे रोटेट कराकर प्राप्त कर लगभग 06 करोड़ रुपए शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांजैक्शन किया गया है। जबकि मौके पर सीरप की शीशीयों का परिवहन होना नहीं पाया जा रहा है।

अभियुक्त सत्यम कुमार से पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त सत्यम कुमार ने पूछताछ में बताया गया कि उसके बुआ के लड़के रवि गुप्ता पुत्र स्व0 ज्ञानचन्द्र, निवासी नई बाजार, भदोही द्वारा उसके नाम पर"माँ कृपा मेडिकल"तथा उसके भाई विजय गुप्ता के नाम पर "शिविक्षा फार्मा" स्थापित कराई गई। दोनों फर्मों के लिए ग्राम बरकरा, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में किराये पर दो कटरे की दुकान लेकर उसी पते पर औषधि निरीक्षक, सोनभद्र के कार्यालय से जनवरी 2024 में ड्रग लाइसेंस बनवाया गया।

अभियुक्त ने बताया कि माँ कृपा मेडिकल के नाम परशैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड), जिसके प्रोपराइटर पहले भोला जायसवाल पुत्र रामदयाल थे तथा बाद में उनके पुत्र शुभम जायसवाल प्रोपराइटर बने, से वर्ष 2024–2025 के दौरान लगभग ₹06 करोड़ का न्यू फेन्साडिल सीरप कागजों में क्रय दर्शाया गया। इसी प्रकार उसके भाई विजय गुप्ता की फर्म शिविक्षा फार्मा के नाम से भी लगभग ₹06 करोड़ का न्यू फेन्साडिल सीरप क्रय दिखाया गया।

अभियुक्त के अनुसार, उक्त सीरप को जनपद भदोही स्थित फर्जी फर्मों आयुष इंटरप्राइजेज, सनाया मेडिकल एवं दिलीप मेडिकल (नई बाजार) को कागजों में सप्लाई दिखाया गया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसे न्यू फेन्साडिल की प्रति शीशी क्रय-विक्रय पर ₹1 का लाभ दिया जाता था, जिसे उसने प्राप्त किया है।

अभियुक्त ने बताया कि उसके द्वारा अपनी फर्म माँ कृपा मेडिकल के नाम से शैली ट्रेडर्स से दर्शाई गई लगभग ₹06 करोड़ की क्रय राशि अपने बैंक खाते से इंडियन बैंक स्थित शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांजैक्शन की गई। अभियुक्त के अनुसार रवि गुप्ता, शुभम जायसवाल के साथ रहता था तथा उसी के द्वारा स्वयं व अन्य व्यक्तियों के नाम पर फर्जी फर्में खुलवाकर नगद धनराशि जमा कराई जाती थी, जिसे विभिन्न फर्मों के खातों के माध्यम से शैली ट्रेडर्स के खाते में भेजवाया जाता था।

अभियुक्त ने बताया कि यह पूरा फर्जीवाड़ा केवल कागजों में किया जाता था। ई-वे बिल आदिमाँ कामाख्या एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट, नीचीबाग, वाराणसी से प्राप्त कर लिए जाते थे, जिनकी प्रतियां उसके पास रहती थीं। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां उसके द्वारा औषधि निरीक्षक, सोनभद्र को कोरियर के माध्यम से भेज दी गई हैं।

कफ सीरप प्रकरण में पूर्व का विवरण-

01.दिनांक 18.10.2025 को जनपद सोनभद्र में चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से कुल 1,19,675 शीशी लगभग 3.50 करोड़ रुपयें की प्रतिबंधित कफ सीरप की शीशियाँ बरामद की गई थीं।

02.दिनांक 01.11.2025 को झारखंड के रांची में 134 पेटी में करोड़ों की कुल 13400 अवैध कफ सिरफ की शीशियाँ बरामद की गई थीं।

03.दिनांक 3/4.11.2025 की रात्रि में सोनभद्र पुलिस व गाज़ियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में चार ट्रकों से 3.40 करोड़ रुपयें की प्रतिबंधित कफ सीरप तथा ₹20 लाख फंडिंग की नकदी बरामद की थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. निरीक्षक श्री सदानंद राय एसआईटी टीम सोनभद्र।
2. निरीक्षकश्री प्रणय प्रषून श्रीवास्तव एसआईटी टीम सोनभद्र।
3. प्रभारी निरीक्षक श्रीमाधव सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र।
4. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस सेल उ0नि0 राजेश जी चौबे मय हमराह।
5. का0 रमेश कुमार थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र।
6. का0 शिवम सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र।